



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102026-277437
CG-DL-E-26102026-277437

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5567]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 26, 2026/कार्तिक 4, 1948

No. 5567]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2026/KARTIKA 4, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5784(अ).— केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987, 2007 तथा 2011) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधीनस्थ निम्नलिखित कार्यालय को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या 80% से अधिक हो जाने के फलस्वरूप एतद् द्वारा अधिसूचित करती है :-

पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण,
प्लांट अथॉरिटी भवन, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग,
एनएएससी कॉम्प्लेक्स के निकट,
टोडापुर गांव के सामने,
नई दिल्ली-110012

[फा. सं. 11016/1/2025-हि.नी.]

के.एम.एस. खालसा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd October, 2026

S.O. 5784(E).— In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987, 2007 and 2011), the Central Government, hereby notifies the following subordinate office of the Department of Agriculture and Farmers Welfare whereof more than 80% of officers/employees have acquired working knowledge of Hindi:-

Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority,
Plant Authority Bhawan, Dev Prakash Shastri Marg,
Near NASC Complex,
Opposite Todapur Village,
New Delhi-110012

[F. No. 11016 / 1/2025-Hindi Neeti]

K.M.S. KHALSA, Jt. Secy.